खण्ड-364, अंक-1
सोमवार, 24 माघ, शक संवत् 1905
(13 फरवरी, 1984 ई0)

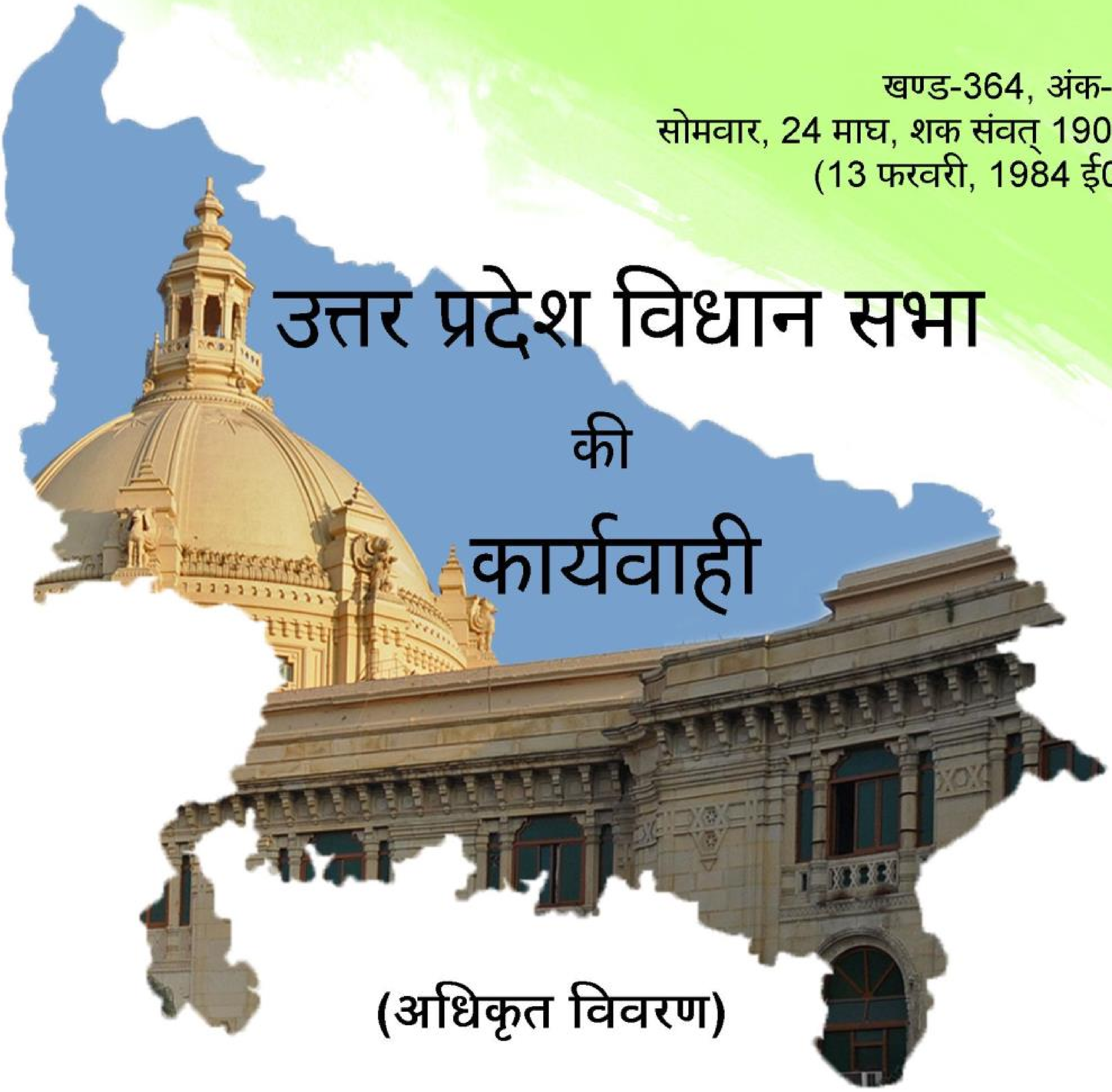

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 364 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

9214

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–5
श्री राज्यपाल द्वारा अपने अभिभाषण को अध्यक्ष से पढ़वाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	6–14
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ	14
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1983 सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	15
इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	16
श्री मन्जूर अहमद को बलपूर्वक बैठाये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	16–20
एक ही अध्यादेश को कई बार सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति	20–21
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया)	21
उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	21
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया)	21
सत्ता पक्ष के एक सदस्य द्वारा सदन न चलने देने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	22
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौंतीसवां संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया)	22
दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की सत्तावनवीं वार्षिक रिपोर्ट 1980-81 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	23
उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1980-81 (सदन के पटल पर रखे गये) ..	23
श्री मन्जूर अहमद द्वारा सदन की कार्यवाही में व्यवधान किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	23–24

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1981-82 (सदन के पटल पर रखे गये)	25
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी)	25
श्री मन्जूर अहमद द्वारा सदन न चलने देने की धमकी	25–26
पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 (उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित सदन के पटल पर रखा गया)	26
उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1982 (विधान परिषद् द्वारा पारित, सदन के पटल पर रखा गया)	26
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	26
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	27
उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) विधेयक, 1983 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	27
उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक, 1983 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	27
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	27
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	27
उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	28
उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का अनुपूरक) विधेयक, 1983 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	28
उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1983 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	28
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	28
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन एवं वैधीकरण) विधेयक, 1983 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	28
उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1983 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	29

पृष्ठ संख्या

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 29

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. 29

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1983 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 29

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. 30

उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) विधेयक, 1983 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 30

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1983 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 30

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1983 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. 30

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. 31

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1983 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) 31

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) .. 31

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 31

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विधेयक, 1983 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) 31

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) .. 32

उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) .. 32

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) 32

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 32

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विधेयक, 1984 को पुर:स्थापित किये जाने पर आपत्ति	33–34
उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि-लेखा-परीक्षा विधेयक, 1984 (पुर:स्थापित किया गया)	34
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 (पुर:स्थापित किया गया) . .	34
उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 . . (पुर:स्थापित किया गया) . .	34–35
नत्थी . .	36–42

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 13 फरवरी, 1984

9214

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 12 बजकर 30 मिनट पर दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य–370

अकबर अहमद, श्री — नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री — गोंडा
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री — मेरठ
अनवार मुहम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री — कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अम्बिका सिंह, श्री — बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
आजाद कुमार कर्दम, श्री — आगरा
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
उदल, श्री — वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री — नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री — आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमला देवी, श्रीमती — हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री — बरेली
कल्लूराम रत्नाकर, श्री — मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री — बलिया
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल) — हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह, श्री — बदायूं
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर — आगरा
केदार सिंह, श्री — आजमगढ़
केदार नाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव, (एडवोकेट) श्री — एटा
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री — मुरादाबाद
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री — टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री — आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री — अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री — कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
गया सिंह, श्री — उन्नाव
गुलाब सेहरा, श्री — आगरा

गुलाम नबी, श्री — आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपाल राम दास, श्री — अल्मोड़ा
गोपी नाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री — इटावा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री — बलिया
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 — बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री — आजमगढ़
चन्द्र भान सिंह, श्री — बांदा
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
चारु चन्द्र आभा, श्री — पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री — बरेली
छत्तर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री — खीरी
छेदी लाल, श्री — गोंडा
जंग बहादुर, श्री — जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री — फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री — इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री — शाहजहांपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
जनार्दन प्रसाद आभा, श्री — गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री — खीरी
जयदीप सिंह बरार, श्री — बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जितेन्द्र शाह, श्री — जालौन
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री — फैजाबाद
जैराज गौतम, श्री — सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री — मेरठ
तपेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेजबहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
दयाल कृष्ण, श्री — मथुरा
दलजीत सिंह, श्री — रामपुर
दल सिंगार, श्री — आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री — मेरठ
दीनानाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री — गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री — आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री — कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री — देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री — इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धर्मपाल सिंह, डाक्टर — अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री — मेरठ
धर्म सिंह, श्री — बुलन्दशहर
ध्रुव प्रसाद राय, श्री — देवरिया
नकली सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री — हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्द राम, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री — पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
नाजिर अली, श्री — शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री — प्रतापगढ़
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री — एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी — इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री — आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री — मिर्जापुर
पुष्पा चौहान, श्रीमती — अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री — बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री — प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री — जौनपुर

श्री प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
प्रियदर्शी जेतली, श्री — फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती — बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
फखरे आलम, श्री — बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर, श्री — रामपुर
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बच्चा पाठक, श्री — बलिया
बदन सिंह, श्री — आगरा
बनवारी राम, श्री — वाराणसी
बलराम सिंह यादव, श्री — इटावा
बलबीर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री — रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री — पीलीभीत
बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री — अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री — नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
दुद्धपाल सिंह 'खुर्रेवाला', श्री — बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर — देवरिया
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री — इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री — कानपुर
भागीरथ, श्री — झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री — देवरिया
भीखा लाल, श्री — उन्नाव
भूपसिंह केन, श्री — गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री — गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री — बलिया
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री — मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री — बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबराज) — गोंडा
महाबीर सिंह, श्री — सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री — आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती — इटावा

महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा — आगरा
महेश उपाध्याय, श्री — आगरा
महेश प्रसाद, श्री — देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री — वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
माधव प्रसाद, श्री — फैजाबाद
मान बहादुर, श्री — गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री — गोरखपुर
मित्रसेन, श्री — फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री — बदायूं
मुईद अहमद, श्री — सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री — मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री — गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मेंहदी असगर, श्री — मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री — कानपुर
मोहन लाल, श्री — हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री — देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री — बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर — गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री — बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री — लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी — रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री — वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री — मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री — बाराबंकी
यशपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
रईसउद्दीन वारसी, श्री — मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री — गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
रतीराम, श्री — बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री — इलाहाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री — रायबरेली
रवीन्द्र, श्री — आजमगढ़
राज किशोर राव, श्री — बहराइच
राज कुमार राय, श्री — आजमगढ़

अविकल सभा

राजपति देवी, श्रीमती — सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
राजमंगल पाण्डेय, श्री — देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री — झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री — एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री — इलाहाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री — बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री — हरदोई
राम करन, श्री — वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री — आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री — सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 — जौनपुर
राम गोविन्द, श्री — बलिया
राम चन्द्र, श्री — वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री — मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री — वाराणसी
रामजी राम, श्री — फैजाबाद
राम धनी, श्री — गाजीपुर
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट) — गाजीपुर
राम नारायण पाठक, श्री — कानपुर
रामपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री — जालौन
राम प्रसाद, श्री — मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री — खीरी
राम यश सिंह, श्री — सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री — सीतापुर
राम लाल, श्री — सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री — हरदोई
राम शिरोमणि, श्री — जौनपुर
राम समुझावन, श्री — जौनपुर
राम सागर, श्री — बाराबंकी
राम सिंह, श्री — सहारनपुर

राम सिंह, श्री — सुल्तानपुर
राम सिंह सन्ना, श्री — बरेली
राम सिंह रावत, श्री — एटा
राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री — सुल्तानपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री — कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री — बहराइच
राम हर्ष राय, श्री — गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री — बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री — बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री — बाराबंकी
रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
रियासत हुसैन, श्री — मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
रूप राम, श्री — शाहजहांपुर
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी) — इलाहाबाद
लखूरी सिंह, श्री — एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
लालसा, श्री — आजमगढ़
लोकपति, श्री — मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री — मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री — प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री — लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री — गाजीपुर
विजय सिंह, श्री — मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री — आगरा
विद्या भूषण, श्री — मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री — टिहरी गढ़वाल
विमल प्रसाद तिवारी, श्री — फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री — कानपुर
विशन लाल, श्री — बिजनौर
विश्वनाथ, श्री — देवरिया
विश्राम दास, श्री — इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री — मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री — गोरखपुर

वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री — सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
वृद्धि नारायन सिंह, श्री — वाराणसी
शंकर सिंह, श्री — जालौन
शम्भूनाथ, श्री — आजमगढ़
शिरोमणि, श्री — बांदा
शिव दर्शन, श्री — रायबरेली
शिव नरेश, श्री — बांदा
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री — नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री — उन्नाव
शिव बालक, श्री — रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री — मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री — अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर — पौड़ी गढ़वाल
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — गोरखपुर
शेर बहादुर, श्री — फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री — गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री — बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री — बिजनौर
श्रीकृष्ण गोयल, श्री — बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री — वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री — सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री — वाराणसी
संजय सिंह, श्री — सुल्तानपुर
सईदुल हसन, श्री — बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री — उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री — खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री — इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री — शाहजहांपुर
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री — नैनीताल
सन्त बख्श रावत, श्री — लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती — बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री — प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री — मथुरा
साहब सिंह, श्री — गाजीपुर
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री — शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती — इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री — गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री — देवरिया
सुजान सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
सुनीता चौहान, श्रीमती — रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री — गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री — बहराइच
सुमन लता, श्रीमती — कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री — सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) — गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री — बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री — गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री — जालौन
सुल्तान सिंह, श्री — मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री — मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री — जौनपुर
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री — मेरठ
सोमांश प्रकाश, श्री — मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती — लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री — बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री — हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री — एटा
हरगोविन्द वर्मा, श्री — सीतापुर
हरदेव, श्री — बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री — बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री — गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री — उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री — देवरिया
हरि सिंह, श्री — बुलन्दशहर
हरीशंकर, श्री — हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री — मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
हेम चन्द्र निमेष, श्री — मेरठ

नोट—गन्ना विकास मंत्री श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, वित्त एवं संस्थागत राज्य मंत्री श्रीमती इन्द्र मोहनी, पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्यमंत्री श्री राम सजीवन सिंह, नगर विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री अरुण कुमार सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

श्री राज्यपाल द्वारा अपने अभिभाषण को अध्यक्ष से पढ़वाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

[12 बजकर 30 मिनट]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अकबर अहमद–

यह सरकार लोगों को गोली मरवा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

एक सदस्य–

गुण्डों की सरकार नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठें मैंने माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त को बुलाया है। वह अपनी बात कह लें, उसके बाद आपको सुनूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, जिसके अनुसार हमारी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली बनी है उसके तहत प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को महामहिम राज्यपाल दोनों सदनों को एक साथ समवेत कर अभिभाषित करेंगे। यह अवसर आज था। आज ठीक 11 बजे महामहिम राज्यपाल पधारे लेकिन नियमानुसार उन्होंने एक साथ समवेत दोनों सदनों को अभिभाषित नहीं किया और उनका अभिभाषण नहीं हुआ। जबकि संविधान में व्यवस्था है कि सत्र के प्रथम दिन वह दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे। उनके द्वारा सम्बोधित किये जाने के पश्चात् आप द्वारा अभिभाषण पढ़ने की बात आती है। जब उनका अभिभाषण हुआ ही नहीं तो आप क्या पढ़ेंगे ? एक बात की ओर आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं। सचिव विधान सभा की तरफ से एक कागज हम लोगों को मिला है जिसमें उन्होंने हम लोगों को प्रक्रिया बतायी है जो कि नियमावली से संगत है। इसमें कहा गया है कि माननीय सदस्य पूर्वाह्न 10-45 के पूर्व विधान सभा मण्डप में अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। महामहिम राज्यपाल के सभा मण्डप में आगमन की मार्शल द्वारा घोषणा पर माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायेंगे और महामहिम राज्यपाल द्वारा "माननीय सदस्य गण कृपया स्थान ग्रहण करें" कहने पर पुनः अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इसमें यह था कि महामहिम राज्यपाल जब कहेंगे तभी हम दुबारा बैठेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है और इस आदरणीय सदन ने देखा है महामहिम राज्यपाल ने यह बात कही ही नहीं . . . (व्यवधान) मन में भले ही सोच लिया हो।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

दूसरी तरफ एक बात की ओर और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं महामहिम राज्यपाल बैठे थे माइक की पोजीशन ऐसी थी कि जब वह खड़े होते तो वह उनके मुंह के सामने होता। वह आये और बैठ गये। हम लोगों के बैठने के बाद उनको अपना अभिभाषण प्रारम्भ करना चाहिये था लेकिन वह खड़े ही नहीं हुए और न ही भाषण प्रारम्भ किया उसके पहले आपसे पढ़वाना शुरू कर दिया। अगर वृद्ध अवस्था के कारण या बाणी दोष के कारण वह असमर्थ थे तो उसके लिये पिछली बार व्यवस्था हुई थी। पिछली बार शुरू का और अन्त का एक पैराग्राफ महामहिम ने पढ़ा था और वह अभिभाषण माना गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जो आज हुआ वह अनियमित था और आगे की भी कार्यवाही अनियमित हो जायेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि महामहिम का अभिभाषण हुआ ही नहीं तो आगे की कार्यवाही अनियमित हो जाती है।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, नियम 300 के तहत मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया है। आज की जो कार्यवाही हुई उसमें महामहिम का अभिभाषण जो मिला है, वह 13 पेज का है। आज तक मैंने बहुत से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण सुने और देखा। आज पहला मौका है जब ऐसा हुआ कि महामहिम राज्यपाल ने एक भी लाइन या एक भी शब्द नहीं पढ़ा। नियमावली के नियम 19 की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें शब्द 'शैल' लिखा हुआ है जिससे यह मैनडेटरी हो जाती है। पिछली दफा भी महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण का एक-एक पैराग्राफ पढ़ा था, उसके बाद आपको दे दिया और दूसरे से पढ़वा दिया। आज तो एक लाइन या एक शब्द भी उन्होंने नहीं पढ़ा। उन्होंने स्वयं एक शब्द नहीं पढ़ा। मैं तो यह भी मानकर चलता हूं कि महामहिम द्वारा इस माननीय सदन की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, उपेक्षा हुई है। उन्होंने यह भी गवारा नहीं किया कि एक शब्द भी बोलें। जिस समय उन्होंने आहूत किया दोनों सदनों को, एक साथ सम्बोधन करने के लिए, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने उस वक्त नहीं कहा। कोई चीज नहीं कही। यह माननीय सदन के लिए बहुत ही शर्म की बात है।

दूसरी बात श्रीमन्, यह है कि आपने पढ़ना शुरू किया तो मैं समझता हूं कि इस पूरे माननीय सदन में कितना ही तेज पढ़ने वाला क्यों न हो तब भी वह 13 पेजों को सात मिनट के अन्दर नहीं पढ़ सकता। महामहिम राज्यपाल सात मिनट के अन्दर ही चले गये। कोई भी आदमी इसको पढ़ेगा तो 20 मिनट से कम का समय इस सम्बोधन में नहीं लगेगा। इसमें माननीय राज्यपाल ने इस सदन की बेइज्जती की है। जितना आपके द्वारा पढ़ा गया उस समय में भी वह नहीं बैठे। वह किस काम से चले गये ऐसा कौन सा काम पड़ गया? उन्हें दिल्ली बुलाया गया था या कहीं और बुलाया गया था, जो वह चले गये? मान्यवर, हमारा औचित्य का प्रश्न है कि जो चीज माननीय सदन में महामहिम द्वारा रखी नहीं जा सकी, उसको आपको रखने का कोई अधिकार न होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भीखा लाल–

अध्यक्ष महोदय, जो बातें कही हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। हमारी प्रक्रिया नियमावली का नियम-19 है, जिसमें माननीय महामहिम दोनों सदनों को आहूत करते हैं और वह सम्बोधित करते हैं। उसको उन्हें अपने मुखारबिन्द से सम्बोधित करना अनिवार्य होता है। मान्यवर, पिछले वर्ष वह किसी कारण से पूरा सम्बोधन नहीं पढ़ सके थे। तो उन्होंने आपको आदेशित कर दिया था और आपने पढ़ा फिर आपने रूलिंग दी कि नियमानुकूल ठीक है। लेकिन इस बार उन्होंने एक लफ्ज भी स्वंय नहीं पढ़ा। पूरा आपने पढ़ा। इस प्रकार नियम 19(2) की जो कार्यवाही आप कर रहे हैं उसका औचित्य नहीं है क्योंकि राज्यपाल महोदय ने अपना भाषण नहीं पढ़ा इसलिए उनका अभिभाषण नहीं हुआ।

श्री ख्वाजा हलीम–

मान्यवर, विधान सभा के लिए प्रत्येक सदन निर्वाचन के साथ प्रथम सत्र के आरम्भ के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में विधान सभा विधान परिषद् के साथ में दोनों सदनों को सम्बोधित करेंगे। आवाहन का कारण बतायेंगे। मान्यवर, कौल और शकधर की पुस्तक में पृष्ठ 164 पर साफ लिखा है :–

> इन दि स्टेट्स इट इज दि गवर्नर हू डिलिवर्स दि एड्रेस टु दि स्टेट लेजिस्लेचर इनफार्मिन्ग इट "आफ दि कालेज आफ सम्मन्स" इफ दि गवर्नर इज इनकैपेसिटेटेड फ्राम डिलिवरिंग दि एड्रेस, दि प्रेसीडेन्ट मे मेक अदर प्राविजन्स फार परफारमेन्स आफ दैट फंक्शन आफ दि गवर्नर, दि प्राविजन इज मैनडेटरी, इन दिस कनेक्शन दि कलकत्ता हाईकोर्ट आबजेर्व्ड . . . .

मान्यवर, यदि गवर्नर किसी वजह से इस लायक नहीं है तो प्रेसीडेन्ट उनकी जगह किसी दूसरे को करेंगे। पेज-61 पर भी साफ लिखा है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे समय में जो ऐसे अध्यावधि के लिए ऐसा प्रबन्ध कर सकें जो ठीक समझें। अगर राज्यपाल पढ़ने का दूसरा इन्तजाम करेंगे तो राज्यपाल को अधिकार है कि दूसरा पढ़े। मान्यवर, मैं कलकत्ता हाइकोर्ट की रूलिंग के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें लिखा है :–

> "इट इज ट्रू दैट इज नो डिप्टी गवर्नर टु डिस्चार्ज दि फंक्शन्स आफ दि गवर्नर बट इफ दि गवर्नर बिकम्स अनेबिल टु डिलीवर दि एड्रेस एज रिक्वायर्ड अन्डर आर्टिकिल 176, दि प्रेसीडेन्ट मे मेक सम अदर प्रोवीजन अन्डर आर्टिकिल 160 फार दि डिस्चार्ज आफ दि अफोरसेड फंक्शन आफ दि गवर्नर।"

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है :–

"यह सही है कि अगर कोई स्टेट का डिप्टी गवर्नर नहीं होता है, लेकिन अगर गवर्नर इस लायक नहीं है, तो राष्ट्रपति आर्टिकिल 160 को इस्तेमाल करते हुए उसकी जगह कोई दूसरा आदमी मुकर्रर करेगा जो उस एड्रेस को पढ़ेगा।"

मान्यवर, यदि राष्ट्रपति की परमीशन से पढ़ा गया तो यह सदन चलेगा, नहीं तो नहीं।

*श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जिन बातों की ओर अभी ध्यान आकृष्ट किया गया, स्थिति यह है कि मा0 राज्यपाल आए, इससे इंकार नहीं है। आए और आकर बैठ गये। प्रश्न यह है कि जो संवैधानिक उत्तरदायित्व माननीय राज्यपाल को निभाना था, या जो अधिकार उनके थे, उन्होंने निभाए या नहीं। नियम 19 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरम्भ में राज्यपाल एक साथ समवेत हुए विधान मण्डल के दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे और विधान मण्डल को आहूत करने का कारण बतायेंगे। यह उत्तरदायित्व राज्यपाल का है, अभिभाषण करना और उसमें आहूत करने का कारण बताना। प्रश्न यह है कि मा0 राज्यपाल यहां आ जायं और किसी अन्य व्यक्ति को न कहें तो क्या किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार है कि मा0 राज्यपाल की बिना आज्ञा के उनका अभिभाषण पढ़कर सुनाए तथा वह उनका अभिभाषण माना जाय। मैं कौल और शकधर की किताब के पृष्ठ 148 की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि लोक सभा के मामले में राष्ट्रपति और विधान सभा के मामले में राज्यपाल उसको समन करने का कारण बताए।

मान्यवर, इसमें तथ्यों में जाने की कोई विशेष बात नहीं है। राज्यपाल महोदय ने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं कहा। आए और उठकर चले गये। अतः जब तक इस सदन में उनका अभिभाषण नहीं हो जायगा, यह कार्यवाही नहीं चल सकती। पहली दो लाइन वह पढ़कर सुना देते, तो बात दूसरी थी। लेकिन उन्होंने एक शब्द भी पढ़कर नहीं सुनाया। इस कारण से इस सदन की यह कार्यवाही नियम 19 के अन्तर्गत नहीं हुई। क्या बिना अभिभाषित हुए, इस सदन को कोई अभिभाषण का अंश पढ़कर सुनाया जा सकता है और क्या वह महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का अंग माना जा सकता है? चूंकि महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषित नहीं किया है, इसलिए इस माननीय सदन की आगे की कार्यवाही अनियमित होगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैंने नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचना दी है.....

श्री अध्यक्ष–

बातें सभी कह दी गई हैं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, आप यह कैसे एज्यूम कर लेते हैं कि बातें सभी कह दी गई हैं? दिनांक 27 जनवरी, 1984 को आपने हम सभी माननीय सदस्यों को ससम्मान बुलाया था, किन्तु आपके मार्शल ने हमें बेइज्जत करके वापस कर दिया। मैं तो समझता हूं कि यह भारतवर्ष के इतिहास में पहली घटना है। आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के हाथों से संविधान का कत्ल हो, शोभा नहीं देता है। हम सभी माननीय सदस्य आपके बुलाने पर यहां आये परन्तु आपके मार्शल ने कहा कि आप लोग घर चले जायें।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में इस आदरणीय सदन को विचार करना पड़ेगा। महामहिम राज्यपाल महोदय अपने अधिकारों का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं और या फिर आप महामहिम राज्यपाल महोदय के अधिकारों का सदुपयोग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर रहे हैं या दुरुपयोग। आप प्रक्रिया को देखें, संविधान को देखें उसमें "शैल एड्रेस" लिखा गया है, जो मैन्डेटरी है। उन्हें अभिभाषण करना पड़ेगा, जो मस्ट है।

मान्यवर, जब तक महामहिम राज्यपाल महोदय, मानसिक दृष्टि से दुर्बल न हो जायं, शारीरिक क्षमता से दुर्बल न हो जायं और फिर दृष्टि-दोष से ग्रसित न हो जायं, तब तक यह मैन्डेटरी है। यदि वे उक्त चीजों में से किसी एक चीज से भी ग्रसित हो जाते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति को लिखना चाहिए कि मैं इस कारण से आहूत किए हुए सदन को अभिभाषित नहीं कर पाऊंगा। तब राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की व्यवस्था करते। आज ऐसा करके पुनः आप संविधान की हत्या करने जा रहे हैं। हम विपक्ष के लोग इसे सहन नहीं कर सकते हैं। जब अभिभाषण हुआ ही नहीं तो आगे की कार्यवाही कैसे हो सकती है। इसलिए इस सदन की भावना को देखते हुए सदन की आगे की कार्यवाही रोक दी जाय और हमें घर वापस जाने के लिए कह दिया जाय।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा अन्य साथियों ने एक संवैधानिक प्रश्न उठाया है। आज तक यह प्रक्रिया थी कि 11 बजे आकर महामहिम राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण पढ़ते थे और बाद में आपके द्वारा जब सुनाना होता था तो यह कह दिया जाता था कि इसे पढ़ा मान लिया जाय। अभिभाषण शब्द का अर्थ जो डिक्शनरी में दिया गया है उसका मतलब है वक्तव्य को सम्मुख पढ़ना"। परन्तु महामहिम के अभिभाषण में कोई ऐसी चीज नहीं कही गयी। हम तो उनके सम्मान में खड़े हुए किन्तु उन्होंने बैठने तक को नहीं कहा और न ही महामहिम राज्यपाल महोदय ने दोनों सदनों के सामने कोई नीति-वक्तव्य ही दिया। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेचर के इतिहास में यह पहली बार एक अभूतपूर्व घटना हुई। हम आशा करते हैं कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे। जब महामहिम राज्यपाल महोदय ने दोनों सदनों को अभिभाषित ही नहीं किया है तो आप उसे पढ़कर कैसे सुनायेंगे? यह बिल्कुल असंभव है।

*श्री कुंवर सिंह तंगी—

मान्यवर, इस बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। मैं भी इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मान्यवर, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण यहां पर पढ़ा जाता है, वह मंत्रि परिषद् द्वारा तैयार होता है। राज्यपाल महोदय ने यहां अभिभाषण पढ़ा नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि जो मंत्रि परिषद् द्वारा भाषण तैयार किया गया था, उसको उन्होंने नहीं पढ़ा और इसका मतलब यह भी हुआ कि उनका वर्तमान मंत्रि परिषद् से विश्वास उठ गया है और इस तरह से मंत्रि परिषद् द्वारा जो चीज तैयार की गयी उसको न पढ़कर उन्होंने इस सदन की भी अवमानना की है। माननीय राज्यपाल महोदय हड़ाखान के बाबा के पास तो जाकर, उनसे मिलने के लिये घंटों खड़े हो सकते हैं, लेकिन वे यहां सदन में एक मिनट भी लगातार नहीं खड़े रह सके और एक शब्द भी न बोल सके। इससे तो साफ जाहिर है कि उनका इस मंत्रि परिषद् में कोई विश्वास नहीं रहा और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस हिसाब से शासन की जो नीतियां हैं, उनको भी राज्यपाल ने नहीं माना। मान्यवर, इस स्थिति से एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस मंत्रि परिषद् को तत्काल बरखास्त कर दिया जाना चाहिए।

*श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। मान्यवर, जहां भी कहीं संविधान में व्यवस्था है, तो वहां पावर डेलीगेट करने की शक्ति, उसको प्रतिनिहित करने का अधिकार दिया हुआ है मान्यवर, पूरे संविधान में कहीं भी राज्यपाल को अपने अभिभाषण करने के अधिकार को किसी दूसरे को प्रतिनिहित करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। तो, जब उन्हें प्रतिनिहित करने का अधिकार ही नहीं है, तो अगर उन्होंने आपको पढ़ने के लिये दे दिया, तो उसे कैसे मान लिया जाय? जो व्यवस्थाएं और कल्पनाएं हैं, वह यह है कि अगर राज्यपाल किसी तरह से असमर्थ हैं अभिभाषण पढ़ने में तो इसके लिये वे सर्वप्रथम राष्ट्रपति को सूचित करेंगे और उसके लिये माननीय राष्ट्रपति महोदय व्यवस्था करेंगे उनके बदले में। यह चीज एक कल्पना मात्र है। अब तक जो सच्चाई है और जो व्यवस्थाएं संविधान की हैं, वह यह है कि राज्यपाल का जो अभिभाषण पढ़ने वाला काम है, वह उनका अपना है। उसके लिये वे न तो मंत्रि परिषद् में से किसी को अधिकार दे सकते हैं और न ही अध्यक्ष को इसका अधिकार जाता है। आज इस सदन में अध्यक्ष दो थे आप इस सदन के थे और दूसरे विधान परिषद् के सभापति थे। ऐसा तो राज्यपाल महोदय के पास कोई अधिकार ही नहीं है कि वे यह चीज किसी को दे दें। जब राज्यपाल के पास यह शक्ति ही नहीं है और जब उन्होंने उस चीज को अपने आप से पढ़ा ही नहीं तो उसे कैसे पढ़ा हुआ माना जा सकता है? राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाय, ऐसी तो कहीं प्रथा है नहीं। राज्यपाल अपने अभिभाषण में शासन की नीतियों की उद्घोषणा करते हैं, जब उन्होंने कोई उद्घोषणा ही नहीं की, तो हम क्या समझें कि यह सेशन किस लिये बुलाया गया है। यह मानना कि वे इसके लिये किसी को पावर दे सकते हैं, यह मान्यवर, संभव नहीं है और कोई ऐसी व्यवस्था संविधान में भी नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपना निर्णय दें।

श्री खैरुल बशर–

मान्यवर, इसमें एक बिन्दु छूट गया है, उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है, आप बैठ जायं। मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री खैरुल बशर–

× ×

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप बैठें। इनकी कोई भी बात लिखी नहीं जायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[**]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में संविधान की धारा 176 के बारे में कतिपय सम्मानित सदस्यों ने और माननीय नेता विरोधी दल ने बातें कहीं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से सम्मानित विद्वान सदस्यों का ध्यान बसु की कमेंटरी जो है, जो जस्टिस दुर्गा दास बसु की है, कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया पर, उसकी तरफ और उसके पेज 152 के आखिरी पैराग्राफ की तरफ ले जाना चाहूंगा। जहां धारा 176 के शब्द "एड्रेस" के ऊपर उन्होंने अपनी टीका टिप्पणी करते हुए कहा है कि–

"बट दि वर्ड 'एड्रेस' डज नाट इम्प्लाई दैट एवेरी वर्ड इन ए रिटिन एड्रेस मस्ट बी रेड आउट"

यह सबसे पहली चीज है, जो मैंने आपके समक्ष रखी। शब्द एड्रेस का मतलब यह नहीं है कि पढ़े या जो एड्रेस या अभिभाषण है राज्यपाल का वह पूरा पढ़ा जाय . . . .

(व्यवधान)

मुख्य रूप से तीन बिन्दु उठाये गये। मा0 राजेन्द्र गुप्त जी ने नयी बात पैदा की। पिछले साल भी यह आपत्ति उठी थी, जिसके ऊपर रूलिंग भी हो गयी थी, लेकिन वह मैं बाद में पढ़ूंगा। अबकी बार उन्होंने कहा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने बैठने के लिये नहीं कहा। जो वातावरण उस समय हो रहा था, जो कुछ राज्यपाल कह रहे थे, वह सुना जा सकता था या नहीं, इसका फैसला तो आप कर सकते हैं . . . . .

(घोर व्यवधान)

यह कहा गया कि माननीय राज्यपाल महोदय ने कोई हिस्सा पढ़ा नहीं और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने स्वयं सुना, मैं समझता हूं कि सारे सदस्यों ने सुना होगा. .

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना–

झूठ है, झूठ है। अभिभाषण का कोई अंश पढ़ा नहीं गया।

(घोर व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन–

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि उन्होंने स्वयं सुना। आप स्पष्ट कर दीजिए कि आपने भी सुना या नहीं?

श्री अम्मार रिजवी–

वह तो बाद में स्पष्ट करेंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस–

(श्री अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए)

जब गवर्नर साहब आये हैं तो "एड्रेस" आपके हाथ में था। आपने पढ़ना शुरू कर दिया। यह तो आते ही बैठ गये और लम्बी-लम्बी सांसें लेने लगे।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइए।

(घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी–

दूसरे, विधान मण्डल पुस्तकालय की एक किताब है "आफिस आफ दि गवर्नर इन इण्डिया", यह 1979 का एडीशन है, इसके पृष्ठ 164 पर उन्होंने संविधान की धारा 176 पर टीका-टिप्पणी करते हुए, कई उदाहरण दिए हैं। आन्ध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव एसेम्बली में 14 अगस्त, 1969 को इसी तरह की एक घटना हुई जब कुछ मेम्बर्स ने महामहिम राज्यपाल को अपना अभिभाषण पढ़ने नहीं दिया। थोड़ा पढ़ा गया था, बाकी पढ़ा हुआ मान लिया गया। इसी प्रकार मोहन लाल सुखाड़िया जी जब मुख्यमंत्री थे तो राज्यस्थान में एक घटना घटी थी . . .

(घोर व्यवधान)

जब यह मामला उच्च न्यायालय के सामने आया . . . .

(घोर व्यवधान)

. . . जब यह मामला उनके सामने आया तो यह तय हुआ कि जो महामहिम राज्यपाल ने थोड़ा सा हिस्सा पढ़ दिया है, वह पढ़ा हुआ माना जायगा।

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना–

बहस का मुद्दा तो यही है कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय ख्वाजा साहब ने एक केस सैय्यद मंसूर अब्दुल हबीबुल्लाह वर्सेज स्पीकर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव एसेम्बली, का हवाला दिया है, तो उसके अंदर यह दिया हुआ था कि संवैधानिक रूप से अगर वहां पर लेकर दिया गया है तो वह पर्याप्त माना जायेगा और दूसरे मान्यवर, वहां क्यों जाया जाय यहीं पर जब माननीय सदस्य राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने आपके सामने ऐसी बातें उठायी थीं तो आपने बड़ी विद्वतापूर्वक पूरी रूलिंग नियमों का हवाला देते हुए दी थी जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही के पृष्ठ 15 पर छपी है, जिस पर सारी बैकग्राउन्ड देते हुए आपने यह कहा था कि यह कांस्टिट्यूशन के अनुसार हुआ है और किसी प्रकार कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। मान्यवर, जब माननीय राज्यपाल महोदय बोल रहे थे . . . (शोर) उस वक्त माननीय फखरे आलम व अन्य सदस्यगण दुपट्टा और चुनरी ओढ़े खड़े थे, इसलिये सुन नहीं सके। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस मामले में कोई बात संविधान के खिलाफ नहीं हुई है, इसलिए इसे समाप्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पूरी बातें माननीय सदस्यगण, सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, ख्वाजा हलीम, माननीय हुकुम सिंह, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा और नेता विरोधी दल व माननीय रियासत हुसैन तथा श्री कुंवर सिंह नेगी आदि की बातें सुनी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री के विचारों को सुना (शोर) मैं राज्यपाल महोदय के पास ही था। उन्होंने पढ़ना प्रारम्भ किया, उसके बाद मुझे पढ़ने की आज्ञा दी और फिर मैंने उसको पढ़ना प्रारम्भ किया।

(शोर और मेजों की थपथपाहट के मध्य)

जो भी कार्यवाही हुई है, वह संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप ही हुई है और किसी भी प्रकार से इसमें नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः जो औचित्य का प्रश्न उठाया गया है, उसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए सारी बातों पर विचार करते हुए मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष–

महामहिम राज्यपाल ने शुरू की और अन्त की यह लाइनें पढ़ी थीं :–

विधान मण्डल के वर्ष 1984 के प्रथम सत्र के अवसर पर नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। . . . . . मुझे आशा है कि आप इस प्रदेश को समृद्धि की राह पर ले चलने में भरपूर सहायता करेंगे।

(व्यवधान)

(श्री खैरुल बशर सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री धनीराम वर्मा सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री फखरे आलम अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आहूत करता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1983†

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री मंजूर अहमद–

मान्यवर, आप पहले मेरी बात को सुन लीजिए। वास्तविकता तो यह थी कि गवर्नर साहब अपने भाषण को पढ़ना ही नहीं चाहते थे।

श्री अध्यक्ष–

वह बात समाप्त हो गयी। आप कृपया बैठें।

श्री मंजूर अहमद–

आप पहले बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

अभिभाषण के विषय में जो प्रश्न उठाये गये थे उन पर रूलिंग हो गई है और अब औपचारिक कार्य लिया जा चुका है इसलिये आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा। जो माननीय सदस्य बिना आज्ञा के बोलेंगे उसका एक शब्द भी लिखा नहीं जायेगा।

(श्री मंजूर अहमद फिर भी खड़े होकर कुछ बोलते रहे जो व्यवधान के कारण सुनाई नहीं पड़ा।)

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1983†

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश 1983†

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज भाषा (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1983†

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज भाषा (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने मद संख्या 6 के बारे में आपत्ति की थी ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे आपकी कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उसे मैंने सचिव महोदय को दिया था।

(इस बीच श्री मंजूर अहमद अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ जोर-जोर से बोलते रहे।

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1983†

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री मन्जूर अहमद को बलपूर्वक बैठाये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, मंजूर अहमद कृपया आप बैठें। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त आप अपनी बात कहें।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन–

राजेन्द्र कुमार गुप्त के बाद आप मेरी बात को भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य मंजूर अहमद, आप कृपया बैठें।

श्री मंजूर अहमद–

मैं बैठूंगा नहीं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप अपने स्थान पर बैठें। जो माननीय सदस्य अब बिना किसी आज्ञा के बोलेंगे उनका एक शब्द भी लिखा नहीं जायेगा। राजेन्द्र कुमार गुप्त जी आप अपनी बात को कहें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सदन की अनुमति नहीं है। जब तक माननीय सदस्य खड़े हैं मैं कैसे बोलूंगा?

श्री अध्यक्ष–

मा0 मन्जूर अहमद, आप बैठिये। कृपया आप बैठिए।

(घोर व्यवधान)

(श्री विजय सिंह राना, श्री अकबर अहमद तथा श्री रियाज अहमद तथा श्री खैरुल बशर अपने स्थान से उठकर सदन के बीच खाली स्थान पर आ गये और श्री मंजूर अहमद को बैठाये जाने पर आपत्ति करने लगे।)

---

†छापा नहीं गया।

(श्री मन्जूर अहमद को सत्तापक्ष के कतिपय सदस्यों द्वारा पकड़ कर उनके स्थान पर बैठा दिया गया)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

(व्यवधान) । (फ्लोर पर खड़े सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये) ।

*श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में इसका विधिवत् संचालन करने का आप का दायित्व है। यदि कोई माननीय सदस्य नियम के विरुद्ध कोई काम करता है तो उसको अनुशासित करने की आपकी जिम्मेदारी है। यदि कोई माननीय सदस्य आपकी आज्ञा के बिना कोई बात कहता है तो आप उन शब्दों को कार्यवाही से काट सकते हैं और फिर भी आपकी आज्ञा की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते हैं। माननीय मन्जूर अहमद जो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और इस विधान सभा में 5 वीं बार चुनकर आये हैं और जो इस सदन के नियमों और अनुशासन से पूर्ण रूप से परिचित हैं और अवगत हैं। वह अपनी बात को कहना चाहते थे, आप उनको बोलने की आज्ञा नहीं दे रहे थे लेकिन यह बड़े शर्म की बात है कि माननीय सदस्य श्री गहलौत और श्री कर्दम ने उनका गला पकड़ कर बैठा दिया।

(शेम-शेम की ध्वनि)

हमको इस सदन में वाक् स्वतंत्र्य मिला हुआ है और उस में अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो इस सदन का अपमान है। इसलिए मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं। मान्यवर, आप देखें यह अभी भी हो रहा है, आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं आप लोगों को आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप बैठें। यह कुछ लिखा नहीं जायेगा।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप नियम 63 को देखें। मैं श्री गहलौत और श्री कर्दम के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना सदन को देता हूं। अगर विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई काम यहां पर होता है तो उस मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है और तत्काल उस पर विचार कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मोहन सिंह जी ने जो कहा है, उसको आप स्वीकार कर लें । हमें यहां पर वाक्-स्वातंत्र्य है । कोई व्यक्ति किसी पर दबाव नहीं डाल सकता है। माननीय मंन्जूर अहमद जी बोल रहे थे, उनको दो माननीय सदस्यों ने जबरदस्ती बैठा दिया, बोलने नहीं दिया । उनकी आवाज दबाने की चेष्टा की गयी, यह सदन में हुआ है। आप नियमावली के नियम 63(4) को देख लें। यह घटना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–]

सदन के सामने घटित हुई है इसलिए उसको लिखकर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसकी सूचना दे रहा हूं। आप श्री मोहन सिंह की सूचना को विशेषाधिकार की सूचना मान लें। आप माननीय सदस्य गहलौत और कर्दम के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करें। मैं इस ओर आपका विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आप यहीं पर सदन में इवीडेन्स ले लें। नेता सदन ने और नेता विरोधी दल ने देखा है। इसलिए मैं तत्काल ही इस विशेषाधिकार के मसले पर आपका फैसला चाहता हूं।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, बाकी बातें तो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता कह चुके हैं। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस माननीय सदन के अन्दर आपकी आज्ञा के बगैर फोर्स इस्तेमाल किया जा सकता है ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

फोर्स नहीं गुन्डा गर्दी . . .

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठें।

श्री रियासत हुसैन–

शक्ति का इस्तेमाल आपकी आज्ञा के बगैर किया जा सकता है या नहीं, यह प्रश्न है। आपने देखा, पूरे माननीय सदन ने देखा, नेता सदन ने देखा। माननीय मन्जूर अहमद को बिठाने के लिये शक्ति का प्रयोग किया गया। अगर आपने देखा है कि शक्ति का प्रयोग हुआ है माननीय मन्जूर अहमद को बिठाने के लिये तो जैसा कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा और नियमों में जो है कि यह सदन एक कोर्ट के रूप में उनका इवीडेन्स ले सकता है, इस मसले को तय करने के लिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठें।

श्री मन्जूर अहमद–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि–

लेता हो जहां सिसकी मुफलिस का तनै लागर,
मैं ऐसी हुकूमत का पिन्दार बदल दूंगा
फलने न कभी दूंगा जुल्म की टहनी को,
जालिम तेरी कश्ती की पतवार बदल दूंगा।

मान्यवर, यह जो मौजूदा मुख्य मंत्री हैं इनके हाथ प्रदेश के हजारों कपड़ा मिलों के, मजदूरों के, शिक्षकों के, किसानों के, हरिजनों के, पीड़ितों के खून से रंगे हुए हैं। इनको मुख्य मन्त्री नहीं रहना चाहिये . . . . . ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जांय। मैंने माननीय सदस्यों की बातों को सुना है। मैं इस मामले पर अपनी रूलिंग रिजर्व रखता हूं। बाद में निर्णय दूंगा। राजेन्द्र कुमार गुप्त और मोहन सिंह जी इसके बारे में लिखकर दे दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप 63 का परन्तुक देखें। उसमें साफ लिखा है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी बात को सुन लिया है। सदन के सम्मुख हुआ है फिर भी आपने कहा कि मैं नोटिस दे रहा हूं। इसके बाद यह जरूरी नहीं है कि आप लिखकर दें। मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं। मैं अपनी रूलिंग सुरक्षित रखता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं आपका आभारी हूंगा। नियम 63 के परन्तुक में लिखा है कि यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ है तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी, आप लिखकर बिलकुल न दें। मैं उनसे पूछूंगा, कर्दम साहब से पूछूंगा, और लोगों से पूछूंगा...

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन–

नियमों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिकायत की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने जो निर्णय दे दिया है उस पर टीका-टिप्पणी न करें, उसका पालन करें।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, नियम में दिया गया है कि शिकायत की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको नहीं बुलाया है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जो घटना हुई वह सदन के सामने हुई इसलिए यह सदन कोर्ट के रूप में परिवर्तित हो सकता है। माननीय मन्जूर अहमद अपनी बात कहना चाहते थे। वह अपनी बात कहने जा रहे थे इसी बीच व्यवधान हो गया। आप उनकी बात सुनें क्योंकि आप उनको आदेशित कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष–

वह बोल कहां रहे थे, शेर शायरी पढ़ रहे थे।

श्री राजेन्द्र सिंह–

आप उनको सुनने का प्रयास करें।

श्री रियासत हुसैन–

आपने जैसा कहा कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त व माननीय मोहन सिंह जी लिख कर दें क्योंकि उन्होंने लिख कर देने की बात कही। मैंने तो लिख कर देने की बात नहीं कही है..

श्री अध्यक्ष–

मैंने लिख कर देने की बात नहीं कही है।

श्री रियासत हुसैन–

मैंने लिखकर देने की बात नहीं कही है । नियम 63 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर माननीय सदन के सामने कोई बात होगी तो उसमें लिख कर देने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैं भी नहीं कह रहा हूं लिख कर देने की बात। मैंने कहा मैं अपना निर्णय बाद में दूंगा। पहले आप लोगों को सुन लूंगा, उसके बाद निर्णय दूंगा, यह बात मैंने कही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

आप कहते हैं इसका फैसला बाद में दूंगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं लिख कर नहीं मांग रहा हूं, कई बार कह चुका हूं, आप सोचें समझें, उसके बाद कहें।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, नियम 63 में स्पेसिफिक लिखा हुआ है, उसके परंतुक को देखें– "परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा ।" इसलिये कार्यवाही इस पर होनी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात सुनने के बाद निर्णय लूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अगर इस तरह से नियमों का पालन होना है. . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसमें अध्यक्ष को भी समय की आवश्यकता है। जब मैंने निर्णय दे दिया है। बाद में बहस हो जायेगी। आप कृपया बैठें।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अगर नियमों का इस तरह से हनन होना है तो मजबूर होकर हमें सदन त्याग करना पड़ेगा। हमारा दल इस पर सदन त्याग करता है।

(श्री राजेन्द्र सिंह राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक मोर्चा के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

एक ही अध्यादेश को कई बार सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर।)

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, मैंने एक प्वाइंट आफ आर्डर पेश किया है।

मेरी बात सुन लें आर्डिनेंसेस के सम्बन्ध में है। जब आपने आईटम नम्बर 3, 4, 5, 6, 7, को पुकारा था तो मैंने आपत्ति उठाई थी कि यह जो सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं इसके संबंध में अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के आर्डिनेंसेस के संबंध में रूलिंग दी। बिहार सरकार ने 5-5, 6-6 बार एक ही विषय पर आर्डिनेंस पुट किए उसी पर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि क्या 5-5, 6-6 बार एक ही आर्डिनेंस को पुट करने का अधिकार है। तो इस पर स्पष्ट रूलिंग दी है कि 5-5, 6-6 बार आर्डिनेंस पुट करने का अधिकार नहीं है। तो उस निर्णय के बाद क्या उत्तर प्रदेश सरकार का उसे रिपीट करना कन्टेम्प्ट आफ दि कोर्ट नहीं होगा ? इस पर मेरी आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी बात को सुन लिया, उसमें कोई बल नहीं है, मैं उसे निरस्त करता हूं।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, मैं इस पर सदन त्याग करता हूं।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने भी इस पर लिख कर दिया था।

श्री अध्यक्ष–

आप सदन त्याग कर चले गये थे।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1983†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1983†

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1983†

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

सत्ता पक्ष के एक सदस्य द्वारा सदन न चलने देने की धमकी दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

परिवहन मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से . . .

श्री विद्यासागर नौटियाल–

मेरा व्यवस्था का सवाल है, मुझे आप क्यों नहीं सुनते हैं?

(श्री विद्यासागर नौटियाल सदन के मध्य खाली स्थान में आ गये ।)

श्री अध्यक्ष–

आप अपने स्थान पर जांय, मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री विद्या सागर नौटियाल–

आप मुझे संरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरी बात आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात सुनूंगा, पहले आप अपने स्थान पर जांय।

(श्री भीखालाल के प्रयास से श्री विद्यासागर नौटियाल अपने स्थान पर वापस चले गये)

*श्री विद्यासागर नौटियाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि इस आदरणीय सदन के अन्दर शासक पक्ष के एक माननीय सदस्य ने आज यह धमकी दी कि सदन को, जब तक मुख्य मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र इस्तीफा नहीं देंगे तब तक नहीं चलने देंगे। यह इस सदन के अंदर कहा गया है और यह बार-बार देख रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि सदन न चले । यह पूरा सदन इससे संबंधित है, हम लोग दूर-दूर से आये हैं और दूसरी बार हम लोगों को बुलाया गया है । राज्यपाल महोदय ने संविधान का उल्लंघन किया है । 26 जनवरी को राज्यपाल महोदय ने कुर्सी पर बैठकर सलामी ली थी । तो इसका इलाज यह है कि मुख्य मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र राणा सांगा की तरह किले को तोड़ें और एक बार इस्तीफा दे दें जिससे श्री मंजूर अहमद की बात भी रह जायेगी ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौतीसवां संशोधन) नियमावली, 1983†

परिवहन मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 7358-टी/तीस-4-5 पी0-81-के0अधि0-4-1939-नियमा0 1940 संशोधन (34)–83, दिनांक 22 मार्च, 1983 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौतीसवां संशोधन) नियमावली, 1983 जो दिनांक 2 सितम्बर, 1983 को सभा के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापी नहीं गयी ।

दि इण्डियन टर्पेण्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की सत्तावनवीं वार्षिक रिपोर्ट, 1980-81†

उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं दि इंडियन टर्पेण्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की सत्तावनवीं वार्षिक रिपोर्ट, 1980-81 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1980-81††

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)–

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1980-81 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अहमद द्वारा सदन की कार्यवाही में व्यवधान किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(श्री मन्जूर अहमद के कुछ कहने पर) (व्यवधान)

श्री अकबर अहमद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है।

(श्री अकबर अहमद, श्री रियाज अहमद और श्री सुरेश दत्त पालीवाल सदन के फ्लोर पर आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग सदन के फ्लोर को छोड़ें।

[1 बजकर 30 मिनट]

श्री अकबर अहमद–

हम तीन ही अकेले इस सरकार को–इन मुर्दा लाशों को उखाड़ फेंकने के लिए काफी हैं। आप माइक खुलवायें, हमें अपनी बात कहने दीजिए।

(श्री अकबर अहमद ने रिपोर्ट्स मेज पर से रिपोर्टर की नोट बुक और अन्य कागज उठाकर फेंक दिये और टाइम-पीस को भी फेंकने का प्रयास किया।)

---

†छापी नहीं गयी।

††छापा नहीं गया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन में जो यह स्थिति पैदा हो गई है घोर अव्यवस्था व्याप्त हो गई है, अब उस स्थिति से सदन को बचायें। आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें और सदन में व्यवस्था बनाये रखें।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, आप हमारी एक छोटी सी बात सुन लें, जो बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो तरीका माननीय सदस्यों ने अपना रखा है वह अशोभनीय है, वह इसलिए कि . . . (घोर व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा अपने स्थान से उठकर तेजी से मा0 अध्यक्ष के स्थान की ओर बढ़े। श्री रियासत हुसैन उनको समझाने और रोकने के लिए उनके साथ-साथ आगे बढ़े। इसी बीच श्री सरदार सिंह भी फ्लोर पर आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएं।

(श्री रियासत हुसैन के प्रयास से श्री जनार्दन प्रसाद ओझा अपने स्थान पर वापस चले गये श्री सरदार सिंह, श्री अकबर अहमद, श्री रियाज अहमद तथा श्री सुरेश दत्त पालीवाल भी अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

क्या व्यवस्था है आपको कहिये।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, मुझे यह शंका हो रही है कि क्या आपकी शक्ति में कुछ कमी आ गयी है या मुख्य मंत्री की शक्ति में कुछ कमी आ गई है। आप बराबर देख रहे हैं कि सदन में इस वक्त बराबर जो कुछ चल रहा है, वह मन्जूर अहमद को लेकर बातचीत चल रही है। वह सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, यदि विरोधी दल की ओर से कोई वैसी बात होती तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री अथवा माननीय मुख्य मंत्री की ओर से तुरन्त कोई प्रस्ताव उक्त सदस्य के निष्कासन हेतु सदन में आ जाता। लेकिन आज जब सत्ता पक्ष का एक मेम्बर पूरे हाउस में डिस्टरबेंस कर रहा है, तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि आप में या मुख्यमंत्री में, कोई शक्ति में कमी आ गयी है। इस चीज को अध्यक्ष महोदय, आप देखिये। आपका जो अन्दरूनी मामला है, उसको यहां पर न लायें, इस सदन में पूरे प्रदेश के लोग और हर दल के लोग बैठे हुए हैं। आप अपने अन्दरूनी मामले को लेकर इस तरह सदन के समय और धन को बर्बाद कर रहे हैं। उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा है, उनको मौका मिले, ताकि सदन चले। इस बात को आपको और माननीय मुख्य मंत्री जी को बड़ी ही गम्भीरता से लेना चाहिए।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1981-82†

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)–

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि0 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1981-82 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983‡

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 3212 संख्या 17-1-83-170-80, दिनांक 11 अगस्त, 1983 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अहमद द्वारा सदन न चलने देने की धमकी

श्री अकबर अहमद–

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन के हर माननीय सदस्य को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है और आपको उसका मौका देना चाहिये। रूलिंग पार्टी के एक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, आप कृपया उन्हें मौका दें।

श्री अध्यक्ष–

यह औपचारिक कार्य पहले हो जाने दीजिये।

(मद संख्या 16 पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन यह है कि इस सदन की कार्यवाही, इस नियमावली के नियम 286 के अनुसार, तभी वैलिड मानी जायेगी जब यह सदन व्यवस्थित ढंग से चल रहा हो। (व्यवधान) जो भी निर्धारित नियम है इस प्रक्रिया नियमावली में, जब तक उनका ठीक तरह से पालन नहीं होगा, तब तक यह सदन इन आर्डर नहीं कहा जायेगा।

इस सदन में माननीय मन्जूर अहमद कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं। बार-बार वे खड़े हो रहे हैं। हर माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप उनको अनुमति नहीं दे रहे हैं। अगर वे अपनी बात कह लेते तो यह सदन शान्ति पूर्ण ढंग से चलता रहता। कभी कोई मंत्री खड़ा हो जाता है, कभी कोई, पर सदन शान्ति के साथ नहीं चल रहा है। मेरी प्रार्थना है कि आप सदन को शान्तिपूर्ण ढंग से चलायें और माननीय मन्जूर अहमद को अपनी बात कहने का अवसर दें।

†छापे नहीं गये।
‡छापी नहीं गयी।

श्री मन्जूर अहमद–

मान्यवर, मैं प्रदेश के समस्त शिक्षकों, किसानों, मजदूर, बिजली कर्मचारियों और दूसरे कर्मचारियों की ओर से उनकी भावनाओं को जो मैंने देखा है और महसूस किया है, उसे कहना चाहता हूं। हमारे राज्यपाल महोदय सौ फीसदी मौजूदा मुख्य मंत्री को बरखास्त करना चाहते थे और वे इसके लिये दिल्ली भी गये। मौजूदा मुख्य मन्त्री जी के कारण आज सैक्यूलरिज्म को, धर्मनिर्पेक्षता को चोट पहुंच रही है और 20 सूत्रीय कार्यक्रम तबाह हो रहा है। मैंने जो बात पूछी थी उसके बारे में कोई बात न तो माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने बतलायी और न ही मुख्य मंत्री जी की ओर से ही मुझे बताया गया।

मैं माननीय सदस्यों, कांग्रेस के जो 90 परसेंट सदस्य हैं, उनकी भावनायें आपके द्वारा सारे देश और विदेश के सामने रखना चाहता हूं। मौजूदा मुख्य मंत्री के रहते हुए प्रदेश तबाह हो जायेगा, बरबाद हो जायेगा। मुझे चाहे जेल भेज दें, जब तक मैं हाउस में रहूंगा तब तक मौजूदा मुख्य मंत्री के रहते हुए सदन नहीं चलने दूंगा। यह मेरी पहली घोषणा है, जो मैं कहता हूं, उसको करूंगा।

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा–

मैं, माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150(2) के अन्तर्गत "पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982" को उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित सदन के पटल पर रखता हूं। यह विधेयक विधान सभा द्वारा 25 अगस्त, 1982 को पारित किया गया था और 16 सितम्बर, 1983 को विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित वापस प्राप्त हुआ है।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1982 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983, जो विधान सभा द्वारा 5 सितम्बर, 1983 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 12 सितम्बर, 1983 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983, जो विधान सभा द्वारा 7 सितम्बर, 1983 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 12 सितम्बर, 1983 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) विधेयक, 1983, जो विधान सभा द्वारा 7 सितम्बर, 1983 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 12 सितम्बर, 1983 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विधेयक, 1983, जो विधान सभा द्वारा 7 सितम्बर, 1983 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 12 सितम्बर, 1983 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 जो विधान सभा द्वारा 8 सितम्बर, 1983 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 14 सितम्बर, 1983 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982 जो विधान सभा द्वारा 5 सितम्बर, 1983 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के 14 सितम्बर, 1983 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982, जो विधान सभा द्वारा 7 सितम्बर, 1983 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 14 सितम्बर, 1983 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का अनुपूरक) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का अनुपूरक) विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 6 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 8 सितम्बर, 1983 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 सितम्बर, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का 13वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 के बढ़ते व्यय का विनियमन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 के बढ़ते व्यय का विनियमन) विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 6 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 8 सितम्बर, 1983 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 सितम्बर, 1983 को प्राप्त हो गयी और सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का 14वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 सितम्बर, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का 15वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 9 सितम्बर, 1983 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 सितम्बर, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का 16वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 2 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था, तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 8 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 सितम्बर, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का 17वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—मैं, माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 2 सितम्बर, 1983 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 सितम्बर, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का 18वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—मैं, माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 2 सितम्बर, 1983 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 सितम्बर, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का 19वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक 1983

सचिव, विधान सभा—मैं, माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 सितम्बर, 1983 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 सितम्बर, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का 20वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—मैं, माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 सितम्बर, 1983 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 सितम्बर, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का 21वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—मैं, माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 9 सितम्बर, 1983 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 सितम्बर, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का 22 वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 8 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक, प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 12 सितम्बर, 1983 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 सितम्बर, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का 23वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 सितम्बर, 1983 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 सितम्बर, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का 24वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 सितम्बर, 1983 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 सितम्बर, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का 25वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 सितम्बर, 1983 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 12 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 10 अक्टूबर, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का 26वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 सितम्बर, 1983 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 10 अक्तूबर, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का 27वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 फरवरी, 1983 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 अक्टूबर, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का 28वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 9 सितम्बर, 1983 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 12 अक्तूबर, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का 29वां अधिनियम बन गया।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा– मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 सितम्बर, 1983 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 12 अक्तूबर, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का 30वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा– मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 सितम्बर, 1983 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 12 अक्तूबर, 1983 को प्राप्त हो गयी और सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का 31वां अधिनियम बन गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा–मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 फरवरी, 1983 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 19 जनवरी, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1984 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 12 फरवरी, 1984 की बैठक में यह सिफारिश की है कि विधान सभा के 13 फरवरी, 1984 के उपवेशन में श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़कर सुनाये जाने तथा औपचारिक कार्य के पश्चात् दिनांक 14 फरवरी, 1984 के उपवेशन में प्रश्नोत्तर काल के तुरन्त बाद निधन के निर्देश हों।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने आज सदन को दी है, सहमत है।

9214

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने आज सदन को दी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित किये जाने पर आपत्ति

(मद संख्या 29 पुकारे जाने तथा संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर।)

*श्री हुकुम सिंह–

श्रीमन्, मद संख्या 29 के बारे में मैंने आपकी आज्ञा मांगी है। मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 118 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 118 में दिया हुआ है कि जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो। यह जो विधेयक उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विधेयक, 1984 है इसके खण्ड 3 में 10 श्रेणियां दी हुई हैं जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति चाहते हैं। इसी प्रकार खण्ड 17 में भी अधिकारियों की नियुक्ति चाही है। अगर इस विधेयक को एक्ट बनाने के बाद प्रभावी करने हेतु नई नियुक्तियां करनी हैं तो उससे संचित निधि पर खर्च बढ़ेगा और उसके लिये वित्तीय ज्ञापन देना चाहिये। संक्षेप में आपने आगे लिखा है कि खण्ड 3 और 17 में निदेशक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति पहले से हो चुकी है इसलिये संचित निधि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। खण्ड 3 और 17 में जो अधिकार आप ले रहे हैं जब विधेयक आपका पेश हुआ ही नहीं तो नियुक्तियां कहां से कर दीं। यदि कोई नियुक्तियां इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये गए अधिकारों पर करनी हैं तो उसका वित्तीय ज्ञापन भी आपको विधेयक के साथ देना चाहिए। चूंकि वित्तीय ज्ञापन नहीं दिया है तो हमारा कहना है कि यह विधेयक नियमित नहीं है।

श्री रियासत हुसैन–

जैसा हुकुम सिंह जी ने कहा था वित्तीय ज्ञापन के बारे में कि पहले सब नियुक्तियां कर दी गई हैं तो क्या मान्यवर, कोई ऐसी नियुक्तियां आपने की हैं कि कोई वित्तीय बर्डेन नहीं पड़ेगा? इस तरह की नियुक्तियां आपने कर रखी हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, इस विधेयक को आप देखें तो इसका ब्यौरा लगा हुआ है। जो विधेयक यह पेश हो रहा है जो अनुज्ञा मांगी गयी है मान्यवर, पिछले सत्र में, और कई बार यह प्रस्तुत किया जा चुका है और आपने अनुज्ञा भी दी है। जो इसका तरीका है, वह नया नहीं है तो मैं समझता हूं, इसकी अनुज्ञा में कोई अड़चन नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पहले क्या हुआ उसका कोई प्रश्न नहीं है आप अनुज्ञा मांग रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि सदन अधिकार दे।

श्री अध्यक्ष–

हुकुम सिंह जी विधेयक को देखें, इसमें ज्ञापन लगा हुआ है। मैंने माननीय सदस्यों की बातों को सुना कि वित्तीय ज्ञापन नहीं है। जहां तक मद संख्या-29 का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संबंध है मैंने उसकी प्रतिलिपि को देखा, वित्तीय ज्ञापन लगा हुआ है। इसके अलावा जहां तक 30-31 की बात है, उसकी कोई बात नहीं है। मैंने प्रक्रिया नियमावली के नियम 123 को देखा उसमें (2) में इस प्रकार है कि ऐसे प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष यदि ठीक समझें तो प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के पश्चात् बिना और वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेंगे। मैंने आपकी बातों को सुन लिया है। इसमें नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा इसलिये मैं अस्वीकार करता हूं।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि (लेखा-परीक्षा) विधेयक, 1984†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि-लेखा परीक्षा विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करता हूं।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984†

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री रामसंजीवन सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

†दिनांक 17 फरवरी, 1984 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम सजीवन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं। कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 2 बजे अपराह्न अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ:
13 फरवरी, 1984

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ.....पर)

माननीय सदस्यगण,

विधान मण्डल के वर्ष 1984 के प्रथम सत्र के अवसर पर नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको सम्बोधित करते हुए जहां मुझे प्रसन्नता हो रही है वहीं दूसरी ओर अभी कुछ ही दिन पूर्व हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री बैजनाथ कुरील के आकस्मिक निधन से समस्त प्रदेश शोक संतप्त है। दिवंगत आत्मा के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मेरी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण, त्वरित एवं संतुलित विकास के लिये विभिन्न कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वियन के लिये कृत संकल्प है। वह राज्य में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने, सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने और सभी वर्ग के लोगों में एकीकरण की भावना लाने के लिये सतत् प्रयत्नशील है।

राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखना सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। इसे सुनिश्चित करने के साथ-साथ जन साधारण के मन में सुरक्षा की भावना बनाये रखने के लिये मेरी सरकार दृढ़ संकल्प है। सभी के सहयोग तथा सद्प्रयासों से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने में मेरी सरकार सतत् प्रयत्नशील है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा समाज के अन्य निर्बल वर्ग के व्यक्तियों का उत्पीड़न न हो, इसके लिये वह ठोस कदम उठा रही है तथा इस कार्य को सफलतापूर्वक सम्पादित करने में समाज के विभिन्न वर्गों के सहयोग की अपेक्षा भी कर रही है। पुलिस प्रशासन को और अधिक चुस्त, स्वच्छ एवं कुशल बनाने तथा अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु प्रभावी कार्यवाही कर रही है।

मेरी सरकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति एवं निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के हितों की रक्षा, उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार और उन्हें ऊपर उठाने के लिये कटिबद्ध है। ऐसे दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को गांव सभा तथा सीलिंग की आवंटित भूमि पर वास्तविक कब्जा दिलाये जाने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया है और इस संबंध में जिन व्यक्तियों ने आवंटित भूमि पर अनधिकृत रूप से दुबारा कब्जा कर लिया है उनके विरुद्ध कार्यवाही करके आवंटियों को कब्जा दिलाया जा रहा है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े वर्ग को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिये निर्बल वर्ग आवास योजना चलायी गयी है। इस वर्ष उसमें अधिक विस्तार किया गया तथा ग्रामीण आवास परिषद् का गठन कर दिया गया। अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां देकर तथा उनके लिये छात्रावासों के निर्माण द्वारा उनको समुचित सहायता दी जा रही है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत विशेष प्रयास किया जा रहा है।

ग्रामीण निर्बल वर्ग को उनकी आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध करा कर गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम समस्त विकास

खण्डों में चलाया जा रहा है। प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवार के एक सदस्य को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना आरम्भ की गयी है। निर्धन परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गांव पंचायतों द्वारा संचालित पंचायत उद्योग गांवों की अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों और कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कार्यकर्त्ताओं को कृषि तथा अन्य विषयों की नवीनतम जानकारी करायी जा रही है। पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जन-जाति के परिवारों के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

कृषि हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की आधारशिला है। किसानों की दशा सुधारने तथा उन्हें हर सम्भव सहायता प्रदान करने के लिये मेरी सरकार कृत संकल्प है। देश के खाद्यान्न उत्पादन में हमारे प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतएव इसमें वृद्धि हेतु अनेक कदम उठाये गये हैं। अन्य सुविधाओं के साथ-साथ कृषकों को कृषि निवेश एवं ऋण की सुविधा, सहकारी बैंकों एवं व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। दलहन एवं तिलहन में देशव्यापी कमी को देखते हुये उनका अधिकाधिक उत्पादन करने पर मेरी सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में सूखी खेती विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। कृषि निवेशों एवं आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के भण्डारण हेतु ग्रामीण गोदाम बनाये गये हैं तथा और गोदामों का भी निर्माण किया जा रहा है।

इस वर्ष प्रदेश में ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ आदि सभी प्रकार की दैवी आपदाओं का प्रकोप रहा जिसका मेरी सरकार ने डट कर मुकाबला किया तथा जनता को राहत पहुंचायी। प्रदेश के सूखा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में उत्पादकता शक्ति में वृद्धि सुनिश्चित करने के प्रयोजनों से सुखोन्मुख विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

प्रदेश के सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए द्रुतगति से पर्वतीय क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु शासन कृत संकल्प है और इस दिशा में किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप पर्वतीय क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुये आगामी वर्षों के लिये योजना परिव्यय का आकार बढ़ाने का प्रस्ताव है तथा विकास कार्यक्रमों हेतु विश्व बैंक, यूरोपियन आर्थिक सपुदाय आदि से सहायता भी ली जा रही है।

पशुधन के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामवासियों एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को आय के अतिरिक्त साधन एवं रोजगार के स्त्रोत उपलब्ध होते हैं। अतएव प्रदेश में पशुपालन कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा इनमें लगातार बढ़ोत्तरी करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिये जो कार्यक्रम चलाया गया है उसका और अधिक विस्तार किया गया है। इसी प्रकार मत्स्य उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये विशेष कदम उठाये गये हैं।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गन्ने की खेती और चीनी उद्योग का प्रमुख स्थान है। सारे देश की चीनी का लगभग एक चौथाई उत्पादन इसी प्रदेश में होता है। राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है कि गन्ना विकास के साथ दूसरी फसलों के उत्पादन का संतुलन न बिगड़े, चीनी के उत्पादन में वृद्धि होने के साथ खाण्डसारी और गुड़ के उत्पादन को समुचित प्रोत्साहन मिले, गन्ना किसानों के हित को सर्वोपरि माना जाय और उपभोक्ताओं पर भी अनावश्यक भार न पड़े। चीनी उद्योग की क्षमता के विस्तार के कार्यक्रम को तीव्र गति से चलाया जा रहा है। परिणामतः सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों तथा उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित चीनी मिलों का आवश्यकतानुसार विस्तार, आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास किया जा रहा है जिससे इनकी क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होगी। सहकारी क्षेत्र की दो मिलों का निर्माण कार्य वर्ष 1984-85 के सीजन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नई खाण्डसारी इकाइयों के लगाने की नीति को भी उदार बनाने का प्रयास किया गया है।

हमारा प्रदेश मुख्यतः कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर रहता आया है परन्तु अब वह सन्तुलित औद्योगिक विकास की ओर भी अग्रसर हो रहा है। इसलिए नयी पिलीय एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधायें घोषित की गयी हैं तथा अनेक कदम उठाये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में अनेक बड़े-बड़े उद्योग निजी क्षेत्र में लग रहे हैं। प्रदेश में गैस पर आधारित चार उर्वरक कारखाने लगाने का निर्णय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सह औद्योगिक इकाइयां लगाये जाने के लिये भी मेरी सरकार प्रयत्नशील है। प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों तथा बुन्देलखण्ड एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को और अधिक तीव्र करने हेतु इन क्षेत्रों में कुटीर और लघु उद्योग के लिये विशेष सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। प्रदेश के औद्योगिक उत्पादनों एवं अन्य वस्तुओं के निर्यात करने हेतु भी व्यवस्था की जा रही है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने की योजना के अन्तर्गत समुचित प्रयास किये जा रहे हैं।

मेरी सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा, उनकी दशा में सुधार और समाज के दुर्बल वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को उठाने के लिये सतत् प्रयत्नशील है। औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार के लिये तथा श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु द्विपक्षीय वार्ता तथा त्रिदलीय सम्मेलनों को विशेष रूप से आयोजित किया गया। स्थिर औद्योगिक सम्बन्धों को बनाये रखने के लिए विशेष प्रयास किया गया है जिसके फलस्वरूप श्रमिक दिनों की हानि में भारी कमी हुई है। इसके साथ ही राज्य में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की बन्दी और उसके परिणामस्वरूप होने वाली श्रमिकों की बेरोजगारी तथा उत्पादन की हानि को रोकने के उद्देश्य से ऐसे प्रतिष्ठानों की बन्दी के पूर्व सरकार की अनुमति को आवश्यक कर दिया गया है। प्रबन्ध में श्रमिकों की अधिकाधिक सहभागिता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए सहभागिता योजना को सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त प्रदेश के निजी क्षेत्र की अनेक चीनी मिलों में भी लागू किया गया है। इस प्रयास को साकार करने हेतु उपरोक्त प्रतिष्ठानों में शाखा कौंसिलों का गठन किया गया। कृषि श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को पुनरीक्षित कर दिया गया है।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आवासीय भवनों की कमी से मुख्यतः दुर्बल आय वर्ग के लोग ही प्रभावित हैं। मेरी सरकार ने उक्त वर्ग को राहत देने के लिये यह निर्णय लिया है कि आगामी वर्ष में शहरी क्षेत्र में सभी स्रोतों से बनने वाले भवनों में से 75 प्रतिशत भवन दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिये होंगे । विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से कानपुर विकास परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कानपुर में मलिन बस्ती उन्नयन प्रोग्राम के अन्तर्गत भूखण्ड विकसित किये जा चुके हैं तथा यह आशा है कि प्रोजेक्ट की समाप्ति पर इससे लगभग दो लाख दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा। मलिन बस्ती पर्यावरण के सुधार का कार्यक्रम कई अन्य नगरों में भी तेजी से चलाया जा रहा है। ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिये नयी नीति के अनुसार पाइप जल सम्पूर्ति के स्थान पर हैण्डपाइप कार्यक्रम को प्राथमिकता प्रदान की गयी है। पाइप जल पूर्ति उन स्थानों पर ही की जायगी जहां हैण्डपाइप सफल नहीं है। समाज के निर्बल तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हरिजनों की बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था के लिए कुओं और डिग्गियों का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भी पेयजल योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है तथा यह प्रयास किया जा रहा है कि धीरे-धीरे स्थानीय निकायों में पेयजल सुविधायें उपलब्ध हो जायं।

कृषि एवं उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में विकास के लिये विद्युत् की आवश्यकता अनिवार्य है। इस हेतु यह आवश्यक है कि विद्युत् प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। अतः प्रदेश में चली आ रही विद्युत् की कमी को दूर करने के लिये मेरी सरकार कृत संकल्प है। वर्तमान उत्पादन को बढ़ाने तथा निर्माणाधीन योजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है। आगामी वर्षों में नयी जल विद्युत् तथा तापीय परियोजनाओं को चालू करके विद्युत् उत्पादन में वृद्धि की जायगी। विद्युत् की कमी को देखते हुए ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों का भी सृजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्यूनिटी बायोगैस संयंत्र, पंचक्की, सोलरवाटर हीटिंग सिस्टम, मिनी माइक्रो हाइडिल प्लान्ट्स भी स्थापित किये जाने के कार्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रदेश में हरित क्रान्ति लाने में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिंचाई हेतु उपलब्ध साधनों के अतिरिक्त शासन यह प्रयास कर रहा है कि वर्षा का पानी जलाशयों में एकत्र करके सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करायी जाय। छोटे किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राजकीय नलकूपों की संख्या में विश्व बैंक की सहायता से बढ़ोत्तरी की जा रही है। इस हेतु एक वृहत् योजना प्रदेश में चलायी जा रही है। राज्य के लघु तथा सीमान्त कृषकों को लघु सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एकीकृत ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा अनुदान दिया जा रहा है जिससे इस प्रकार के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में और उसके औद्योगिक विकास में समुचित यातायात साधनों का विशेष योगदान होता है। अतएव प्रदेश में सड़कों तथा पुलों का निर्माण उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत अधिक से अधिक किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर मार्गों के अतिरिक्त जनता की सुविधा के लिए हल्के वाहन मार्गों, पैदल मार्गों और पैदल पुलों के निर्माण कार्य पर अधिक बल

दिया जा रहा है। सेतु निगम प्रदेश में और अन्य प्रदेशों तथा विदेशों में सराहनीय कार्य कर रहा है। प्रदेश की मुख्य नदियों को अन्तर्देशीय जल मार्ग बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश में अच्छी यातायात सेवा उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रदेश भर में लगभग 2000 मार्गों पर बस परिवहन सेवायें सुलभ करायी जा रही है। उपलब्ध सेवाओं में बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से निगम द्वारा नई बसों की खरीद की जा रही है।

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जा रहा है। इस हेतु अनेक प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल खोले गये हैं और अनेक स्कूल खोले जायेंगे। निर्बल वर्ग के बच्चों को औपचारिक शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिये बुक बैंक स्थापित किये जा रहे हैं। प्राविधिक शिक्षा के लिये उपलब्ध सुविधाओं में बढ़ोत्तरी हेतु लखनऊ में एक इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नालाजी स्थापित किया जा रहा है।

नागरिकों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवायें प्रदान कराना राज्य का कर्तव्य एवं दायित्व है। इसी भावना से प्रेरित होकर प्रदेश की जनता को निरोधात्मक, संवर्धनात्मक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाओं को सुचारु एवं व्यवस्थित करके जनसाधारण को उपलब्ध कराने का सतत् प्रयास किया जा रहा है। मेरी सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु सुरक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें, कुष्ठ नियंत्रण, क्षय नियंत्रण और दृष्टिहीनता निवारण आदि कार्यक्रमों को तीव्र गति से चला रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वर्ष 2000 ई0 तक 'सबके लिए स्वास्थ्य' के राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति की घोषणा को फलीभूत किया जा सके।

मेरी सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि जनता को सस्ता तथा त्वरित न्याय सुलभ हो। अतएव इस दिशा में विकेन्द्रीकरण की नीति के अनुसरण में अनेक तहसील मुख्यालयों पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय कार्यरत हैं तथा पर्वतीय जिलों में वहां की वादकारी जनता की सुविधा के लिए तहसील मुख्यालयों को मुंसिफ मजिस्ट्रेट के बैठने का स्थान घोषित किया जा रहा है। प्रदेश में कार्यरत न्यायालयों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि की गयी है।

अगला वित्तीय वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष होगा। इस योजना काल में हमारे प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन की उल्लेखनीय प्रगति, हमारे लिये गौरव का विषय है। योजना की सबसे बड़ी देन यह रही है कि इस योजना काल में पहली बार प्रदेश की नियोजन प्रक्रिया को विकेन्द्रित करने का प्रयास किया गया है। योजना के संसाधनों के एक बड़े भाग का उपयोग किस प्रकार हो, इस पर निर्णय लेने का अधिकार जनपदीय समितियों को दे दिया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि विकेन्द्रीकरण की नयी व्यवस्था में क्षेत्रीय समस्याओं की जानकारी रखने वाले जन प्रतिनिधियों तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों को योजना की संरचना से सम्बद्ध करने के अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। मेरी सरकार का यह दृढ़ मत है कि नियोजन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण को और चुस्त एवं सार्थक बनाया जाय ताकि योजनाओं की संरचना एवं उनके कार्यान्वयन में अपेक्षित गुणात्मक सुधार आ

सके। छठी योजना का अन्तिम वर्ष होने के कारण 1984-85 की उपलब्धियां विशेष महत्व रखती हैं। अतः मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि वर्ष 1984-85 में यथासम्भव निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये जायं ।

जिला स्तर पर अधिकांश जनता प्रशासन के सम्पर्क में आती है और उसी स्तर पर प्रशासकीय नीति एवं विकास योजनाओं का सृजन तथा कार्यान्वयन होता है। अतः जिला स्तरीय प्रशासन को और अधिक प्रभावी, चुस्त, समन्वित तथा जनतांत्रिक प्रणाली में जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से ठोस कदम उठाये जा रहे हैं।

नया 20 सूत्रीय कार्यक्रम एक सर्वांगीण कार्यक्रम है। इसमें एक ओर कृषि एवं औद्योगिक विकास द्वारा समग्र विकास की परिकल्पना की गयी है एवं शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण जैसे सामाजिक कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है, वहां दूसरी ओर समाज के कमजोर वर्ग के लोगों विशेषकर हरिजनों, कृषि मजदूरों, बंधुवा श्रमिकों तथा नगरों की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की व्यवस्था है । मेरी सरकार इसे निष्ठापूर्वक लागू करने के लिये कृत संकल्प है तथा इस दिशा में सतत् प्रयत्नशील है । बुनकरों, दस्तकारों एवं शिल्पकारों की आर्थिक दशा के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

जीवन यापन के लिये आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य पर प्रचुर मात्रा में उपलब्धता बनाये रखने एवं उसके मूल्यों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से शासन द्वारा दृढ़तापूर्वक प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं ताकि चीनी, सीमेंट, खाद्य पदार्थ एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें बाजारों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहें । भारत सरकार द्वारा घोषित मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं तथा धान की खरीद की जा रही है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया जायगा ।

भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का एक तिहाई भाग वन क्षेत्र होना चाहिये परन्तु प्रदेश में इससे बहुत कम भाग वन क्षेत्र है। अतः प्रदेश में वनों की कमी को दूर करने तथा संतुलित पर्यावरण बनाने के उद्देश्य से समस्त उपलब्ध सीमान्त भूमि और सामुदायिक बेकार भूमि पर वृक्षारोपण के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनके अन्तर्गत बेकार पड़ी भूमि वृक्षों से आच्छादित होती जा रही है । प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से सामाजिक वानिकी योजना भी चलायी जा रही है । गांवों में ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति के लिये भी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ।

प्रदेश में प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थलों, तीर्थस्थलों एवं ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटन विकास की बहुत अधिक सम्भावनायें हैं । अतएव पर्यटकों के लिये आवासीय सुविधा में वृद्धि, पर्यटन संगठन का सुदृढ़ीकरण, प्रचार कार्य, संचालित भ्रमणों का आयोजन, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये मनोरंजन कार्य आदि द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये जायेंगे ।

राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिक सद्भावना का हमारे राष्ट्रीय जीवन में बहुत अधिक महत्व है । इस हेतु सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के कार्य कलापों द्वारा राष्ट्रीय एकता की प्रोन्नति के लिये राज्य एकीकरण परिषद् गठित की गयी थी । इस

परिषद् का अभी हाल में पुनर्गठन किया गया है तथा जिला स्तर पर जिला एकीकरण समितियां भी गठित की गयी हैं । इन समितियों की अध्यक्षता जन प्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है । प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमन्त्री द्वारा घोषित 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित किया जा रहा है तथा इससे आशा है कि पारस्परिक सद्भावना तथा एकता बनाये रखने में सहायता मिलेगी ।

वर्तमान सत्र में आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 1984-85 का आय-व्ययक तथा वर्ष के एक भाग के लिये लेखानुदान भी प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव है जिन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायगी । विगत सत्र की समाप्ति के पश्चात् जिस अवधि में दोनों सदन सत्र में नहीं थे कुछ अध्यादेश जारी किये गये हैं । इन अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले तथा कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक आपके विचारार्थ इस सत्र में रखे जायेंगे ।

माननीय सदस्यगण, मैंने सरकार की प्रमुख नीतियों और उसके द्वारा किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है । मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिये अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करते रहेंगे । इस प्रदेश को प्रगति की ओर अग्रसर करने का गुरुतर भार आपके कंधों पर है । अतएव मुझे आशा है कि आप इस प्रदेश को समृद्धि की राह पर ले चलने में भरपूर सहायता करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आहूत करता हूं ।

जयहिन्द ।

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 342 विधान सभा (616)--1984--813 ।